न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 352/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/515
दायर दिनांक :– 23.12.2024 निर्णय दिनांक :– 21.03.2025

01. भगवानदास पुत्र अमरदचन्द जाति कुमावत निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. अब्दुल हकीम पुत्र अली खां जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री प्रकाश विश्नोई अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 820/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 820/3 रकबा 1.6187 हैक्टेयर मौजा बाप में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है। जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता प्रकाश विश्नोई ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 820/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 820/3 रकबा 1.6187 हैक्टेयर की तरमीम वर्तमान में एक दूसरे के स्थान पर अंकित कर दी गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त के विपरित की गयी तरमीम को ही दुरूस्त किया जाना है पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एंव पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 820/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820/3 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि

सहायक कलक्टर
(... फलोदी)

का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का बाप एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 820/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर खसरा नम्बर 820/3 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान भू–नक्शा में ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/3/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)